

12/10/16

वक्तु करी उपस्थित। प्रथम पत्र का के साथ पेश मूल  
काद पर P-D एव स्थाई निवेदना जारी की जा चुकी है  
इसलिए प्रथम पत्र प्रभाव शून्य हो गया है। अतः कार्यवाही  
प्रथम पत्र ड्रॉप की जाती है। मिसल कैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो। बाद दफ्तर कारिषल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

